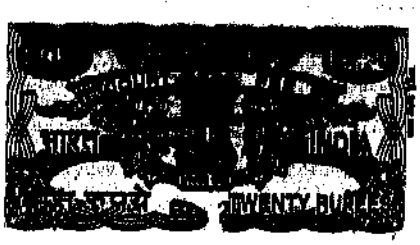

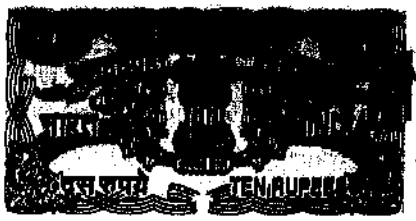

५८।

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष राजस्व मण्डल, ग्वालियर म.प्र.

अपील प्रकरण कं. /2016

म.प्र.शासन

द्वारा कलेक्टर

भोपाल (म.प्र.) ——— अपीलार्थी

विरूद्ध

मेसर्स दीपमाला इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.

द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

सी.बी.डी. प्रोजेक्ट

अपोजिट टीनशेड टी.टी.नगर भोपाल म.प्र. ——— उत्तरदाता

अपील मेमो अंतर्गत धारा 44 (2) म.प्र.भू रा.संहिता

अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा प्र.कं. 25/अभ्यावेदन/14–15 पक्षकारगण– दीपमाला इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रॉ.लिं. विरूद्ध म.प्र. शासन में पारित आदेश दिनांक 14/07/2015 से व्यथित/पीडित/दुखी/असंतुष्ट होकर माननीय. न्यायालय के समक्ष यह अपील ठोस, सुदृढ़ एवं वैधानिक आधारों पर प्रस्तुत है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ (शासन/मै.दीपमाला)

प्रकरण कमांक अपील 1449–पीबीआर/16 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26–5–2016	यह अपील मध्यप्रदेश शासन की ओर से अनुविभागीय अधिकारी, टी0टी0नगर के द्वारा प्रस्तुत की गई है । प्रकरण में ग्राह्यता के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी को सुना गया । केवियटकर्ता अनावेदक की ओर से उपस्थित अभिभाषक को भी सुना गया । आवेदक की ओर से तर्क दिया गया कि पूर्व में जो अनुमति अनावेदक के पक्ष में फ्री होल्ड करने की जारी की गई थी, वह नियमों के अनुरूप नहीं थी, क्योंकि अनावेदक के द्वारा संबंधित स्थल का आवासीय तथा वाणिज्य दोनों तरह का उपयोग किया जा रहा है, अतः इस आधार पर प्रकरण पुनर्विलोकन में लिया जाकर निरस्त किया गया था । उक्त आदेश को अपर आयुक्त के द्वारा निरस्त किया गया है, अतः यह अपील प्रस्तुत की गई । 2– अनावेदक की ओर से तर्क दिया गया कि राज्य शासन द्वारा बनाये गये नगरीय क्षेत्रों में स्थित पटटे की भूमियों के संबंध में फ्री होल्ड अधिकार नियम, 2010 के अनुरूप उन्हें विधिवत फ्री होल्ड में परिवर्तित करने की अनुमति जारी की गई थी, जिसको पुनर्विलोकन में लेकर निरस्त करने की कार्यवाही नियम विरूद्ध की गई है, उसको बहाल करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । उनके द्वारा यह भी आपत्ति ली गई कि प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन भी कलेक्टर द्वारा नहीं किया जा रहा है तथा प्रस्तुत अपील समय बाह्य पेश	

होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है ।

3– प्रकरण सन्क्षेप में यह है कि अनावेदक को राज्य शासन की ओर से 30 वर्षो की लीज पर शहर भोपाल स्थित भूमि प्रदाय की गई थी । शासन के लीज होल्ड से फ्री होल्ड किये जाने संबंधी नियम, 2010 के अन्तर्गत अनावेदक संस्था द्वारा आवेदन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के कारण कलेक्टर ने प्रश्नाधीन भूमि को फ्री होल्ड में परिवर्तित करने की स्वीकृति दी थी, लेकिन बाद में आवास पर्यावरण विभाग की आपत्ति के आधार पर प्रकरण पुनर्विलोकन में लिया जाकर अनुमति निरस्त की गई है। जिसके विरूद्ध अनावेदक का अभ्यावेदन अपर आयुक्त के द्वारा स्वीकार किया जाकर पूर्व में दी गई अनुमति को अपने आदेश दिनांक 14–7–2015 से बहाल किया गया है । उक्त आदेश के पालन में अनावेदक के द्वारा संबंधित धनराशि शासन के पक्ष में जमा करा दी गई, लेकिन उसके बाद भी कन्वर्जन डीड का निष्पादन अभी तक नहीं किया गया । प्रकरण में आवेदक के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने पर माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 15–2–2016 द्वारा दो माह में इस संबंध में कार्यवाही करने के निर्देश दिये, लेकिन शासन की ओर से अपर आयुक्त के द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–7–2015 के विरूद्ध शासन के द्वारा यह अपील दिनांक 10–5–2016 को राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई है ।

4– प्रकरण में उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के द्वारा दिनांक 14–7–2015 को मध्यप्रदेश राजस्व पुस्तक परिपत्र के खण्ड 4 कमांक 1 नियम 18 के अन्तर्गत अभ्यावेदन दर्ज कर आदेश पारित किया गया है ।

राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत पारित आदेश के विरूद्ध भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत अपील राजस्व मण्डल में ग्राह्य योग्य नहीं होती है, अतः इसी आधार पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रस्तुत यह अपील अग्राह्य योग्य है ।

5– अनावेदक के द्वारा समय सीमा के बिन्दु पर भी आपत्ति ली गई कि अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 14–7–2015 के विरूद्ध लगभग 10 माह के उपरांत दिनांक 10–5–2016 को यह अपील राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई है, जबकि राजस्व मण्डल को अपील/निगरानी प्रस्तुत करने की समय सीमा 60 दिवस की है । अपील के साथ राज्य शासन की ओर से समय सीमा में छूट संबंधी आवेदन पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है । सुनवाई के दौरान आपत्ति लिये जाने के तथ्य देखते हुये सुनवाई के उपरांत राज्य शासन की ओर से अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत समय सीमा में छूट दिये जाने संबंधी आवेदन पत्र बाद में प्रस्तुत किया गया, लेकिन उक्त आवेदन पत्र में इतनी लम्बी अवधि तक कार्यवाही नहीं करने का कोई संतोषप्रद कारण दर्शित नहीं किया गया है । उक्त आवेदन पत्र में विलम्ब का एकमात्र कारण शासन से मार्गदर्शन मॉगे जाने में लगने वाला समय दर्शाया गया है । प्रकरण में संलग्न शासन के पत्र दिनांक 28–4–2016 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा प्रकरण का 2 माह में निराकरण करने के निर्देश के उपरांत की गई है । स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त के आदेश के उपरांत धनराशि जमा करने के बाद भी लम्बी अवधि तक कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी Conversion

Deed का निष्पादन न करते हुये अपील प्रस्तुत करने की, यह विलम्बित कार्यवाही की गई है । स्पष्ट है कि 10 माह की लम्बी अवधि जो कि अपील प्रस्तुत करने में ली गई है, उसका संतोषप्रद कारण परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के आवेदन पत्र में उपलब्ध नहीं कराया गया है । अतः इस आधार पर भी राज्य शासन द्वारा प्रस्तुत अपील समय बाह्य होने से अग्राह्य किये जाने योग्य है।

6— फलस्वरूप प्रस्तुत अपील अग्राह्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष